C/56

संघ प्रदेश दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

सचिवालय, दमण

सं. प्र.नि.स./दमण/प्लास्टिक थैलियाँ/12-13/57 दिनांक: 26/04/2013

अधिसूचना

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 की अनुसूची 5 के साथ पठित गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस.ओ.667(ई) दिनांक 10 सितंबर 1992, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासक निम्नलिखित अधिसूचना का प्रारूप जारी करते हैं, जिसे पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत लोगों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है जो इससे प्रभावित होते हैं;

प्रस्तावित प्रारूप अधिसूचना में विहित निर्देशों के संदर्भ में यदि कोई व्यक्ति कोई सुझाव या आपत्ति देना का इच्छुक है तो वह संघ प्रदेश प्रशासन दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के विचारार्थ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर लिखित रूप से सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजें या इलेक्ट्रॉनिक आधार पर mspccdmn@pccdaman.info पते पर ई-मेल करें।

विहित समय में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर संघ प्रदेश प्रशासन दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली विचार कर सकता है।

पृष्ट 3 का 1

c 155

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-ए में विचार के साथ-साथ राज्य पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयत्न करेगा;

जबकि, प्लास्टिक की थैलियों का पर्यावरण एवं स्थानीय पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, संघ प्रदेश दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन यह महसूस करता है कि प्लास्टिक की थैलियों को गैरजिम्मेदारना तरीके से फेंके जाने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है।

और जबकि, यह देखा गया है कि प्लास्टिक की थैलियाँ गटर, जल निकास व्यवस्था और निकास नालों को अवरोधित करती हैं, परिणामतः पर्यावरण के गंभीर परिणामों के साथ-साथ मनुष्यों और पशुओं को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अब, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 की अनुसूची 5 के साथ पठित गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस.ओ.667(ई) दिनांक 10 सितंबर 1992 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासक एतद्द्वारा निम्नलिखित का निर्देश देते हैं:

(क) सभी होटल एवं रिर्सोट
(ख) 20 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम 1998 के तहत वर्णित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को छोड़कर।
(ग) सभी फल एवं सब्जी विक्रेता
(घ) सभी शराब दुकान
(ङ) सभी रेंस्तरां एवं खाने का स्थल जहॉ की क्षमता 10 सीट से अधिक हों
(च) सभी मुख्य बाजार की दुकानें और स्थानीय बिक्री केन्द्र और सभी शॉपिंग मॉल

.मी खुदरा एवं थोक विक्री केन्द्र जहाँ फलों और सब्जियों के साथ-साथ सभी ब्रांड के सामान बिकते हैं।

3. निम्नलिखित अधिकारी इन निर्देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में लागू करवायेंगे:-

(क) सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण समिति, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली

(ख) संबंधित जिलों के उप-डिवीजनल मजिस्ट्रेट

(ग) संबंधित क्षेत्रों की नगरपालिकाओं के मुख्य अधिकारी

(घ) खाद्य एवं आपूर्त्ति अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में

(ङ) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा अपने अधिकार क्षेत्र में

(च) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में

(छ) पुलिस निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में

4. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण समिति, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली इन निर्देशों के देखरेख और लागू करने को सुनिश्चित करेंगे। सदस्य सचिव (प्रदूषण नियंत्रण समिति) और उप-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र/अधिकार क्षेत्रों में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुच्छेद 19 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत किये गये हैं जिन्हें पहले ही अद्यतनी रूप से संशोधित अधिसूचना सं. एस.ओ.349 (ई) दिनांक 16 अप्रैल, 1987 के तहत शक्ति प्रदान की गई है।

5. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

No. IP/Dmn/2/5/13-14/77
dtd. 8/5/13

दमण एवं दीव तथा दादरा एवं
नगर हवेली के प्रशासक महोदय
के आदेश एवं नामानुसार

उप सचिव (वन)
दमण दीव एवं दानह